न्यायालय :–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 02/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :– 24.02.2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. जसोदा सोनी पत्नि स्व श्री अमरचंद जाति सोनी निवासी पिपलियाकलां		1.ललित कुमार सोनी पुत्र स्व. अमरचंद 2.नमीता सोनी पत्नि ललित कुमार सोनी 3.दिनेश कुमार पुत्र स्व. अमरचंद 4.दिपीका पत्नि दिनेश कुमार सोनी जातिगण सोनी निवासीगण पिपलियाकलां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क और ख के अधीन माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 व माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2010 के नियम 21

उपस्थित 1 श्री रोहित छीपा अधिवक्ता प्रार्थी

2 श्री दिलीप कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी स. 01 एवं 02 तथा संख्या 03 एवं 04 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक: 15.03.2022

प्रार्थीया जसोदा सोनी पत्नि स्व. अमरचंद की ओर से वकील श्री रोहित छीपा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क और ख के अधीन माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 व माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2010 के नियम 21 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थिया एक वृद्ध महिला हैं व वरिष्ठ नागरिक हैं। जिसके दो पुत्र ललित एवं दिनेश व एक पुत्री शोभा हैं। पुत्र दिनेश सोनी व ललित सोनी दोनो उपरोक्त मकान के एक–एक भाग में अलग अलग अपने परिवार सहित अलग निवास करते हैं। प्रार्थीया व उनके पति ने अपने दोनो पुत्रों को अपने सामर्थ्यवान तरीके से अच्छा पढाया लिखाया उसको जीविकोपार्जन योग्य बनाया। प्रार्थीया के पति व्यापार करते थें, जिनकी मृत्यु दिनांक 13.07.2015 को हो चुकी हैं। प्रार्थीया व उनके पति ने अपनी जिन्दगी भर की गाढी खून पसीने की कमाई से जो भी आमदनी हुइ उससे अपने बच्चों पर खर्च करने में कभी कासिर नहीं रखी। चूंकि अप्रार्थी सख्या एक व तीन प्रार्थीया के पुत्र होने के नाते उन्हें हर प्रकार से लाड,प्यारव दुलार के साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए लाखों रूपये खर्च किये। वर्तमान में प्रार्थीया की आय का कोई साधन नहीं हैं। पूर्व में पति की आय से एक मकान जो कि ग्राम पिपलियाकलां में आया हुआ हैं, में स्थित दुकानों के किराये की आय से बुढापे को सुखमय व्यतीत करने के एवं सामान्य जीवन यापन कर रही थी। परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 ने प्रार्थीया को उचित सेवाचाकरी एवं इलाज व खान पान करने का विश्वास दिलाने पर उक्त मकान का हकतर्कनामा को पुत्र ललित एवं दिनेश के पक्ष में कर दिया। उक्त सम्पति का हकतर्कनामा करने के पश्चात् अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति सामान्य नहीं रहा व प्रार्थीया का किसी प्रकार को कोई इलाज नही करवाया, जबकि अप्रार्थीगण का यह विधिक दायित्व हैं कि वह प्रार्थीया को सामान्य जीवन यापन में सहयोग प्रदान करें व प्रार्थीया का भरण पोषण कर इलाज आदि का सम्पूर्ण व्ययों का भुगतान करे। प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र मंजुर फरमाया जार आदेश फरमावें कि प्रार्थीया को अप्रार्थी सख्यां 01 व 03 से भरण पोषण, इलाज व अन्य खर्चो की राशि दिलवाई जावें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन अप्रार्थी की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण उपस्थित हुए हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार ने पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 वं 04 स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। बहस में अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीया को 3000 रू व अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रार्थीया को 5000 रू प्रत्येक माह खाते में जमा करने अपनी सहमति प्रदान की। बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया जसोदा सोनी पत्नि स्व श्री अमरचंद के जीवीत काल तक प्रार्थीया के पुत्र अप्रार्थीसंख्या 01 श्री ललित कुमार सोनी पुत्र स्व श्री अमरचंद व प्रार्थीया के पुत्र अप्रार्थीसंख्या 03 श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र स्व श्री अमरचंद प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख तक प्रार्थीया के खाते(IFSC कोड SBIN0031417 व खाता संख्या 51067436111) में क्रमशः 3000 रू (अक्षरे तीन हजार रू) व 5000 रूपये(अक्षरे पांच हजार रू) जमा करवायेगें, अगर दोनों पुत्र के द्वारा उक्त निर्धारित राशि लगातार दो माह तक जमा नही कराये जाने पर प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, प्रार्थीया के बिमारी/दवाईयों एंव अन्य कोई खर्चा होने पर उसका भुगतान उनके पुत्रों के द्वारा आधा–आधा वहन करने के आदेश दिये जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया जसोदा सोनी पत्नि स्व श्री अमरचंद के जीवीत काल तक प्रार्थीया के पुत्र अप्रार्थीसंख्या 01 श्री ललित कुमार सोनी पुत्र स्व श्री अमरचंद व प्रार्थीया के पुत्र अप्रार्थीसंख्या 03 श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र स्व श्री अमरचंद द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख तक प्रार्थीया के खाते (IFSC कोड SBIN0031417 व खाता संख्या 51067436111) में क्रमशः 3000रू (अक्षरे तीन हजार रू) व 5000 रूपये (अक्षरे पांच हजार रू) जमा करवायेगें, अगर दोनों पुत्र के द्वारा उक्त निर्धारित राशि लगातार दो माह तक जमा नही कराये जाने पर प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रार्थीया के बिमारी/दवाईयों एंव अन्य कोई खर्चा होने पर उसका भुगतान दोनो पुत्रों के द्वारा आधा–आधा वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner